

प्रेस नोट/सराहनीय कार्य-
(पत्रांक-102/2025 दिनांक 12.04.2025)
***दिनांक-12.04.2025 को जनपद कुशीनगर पुलिस**
द्वारा किया गया सराहनीय कार्य-*

सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से व्यक्तियों, महिलाओं इत्यादि के प्रति अपशब्द का प्रयोग करते हुए कमेंट करने व अश्लीलता फैलाने वाले आरोपी शैलेन्द्र प्रताप उर्फ हिमालय एडवोकेट के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर किया गया गिरफ्तार-

विदित है कि थाना अहिरौली बाजार क्षेत्रान्तर्गत एक व्यक्ति शैलेन्द्र प्रताप उर्फ हिमालय एडवोकेट पुत्र दधिबल साकिन चिलुआ थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर के द्वारा सोशल मीडिया एवं अन्य माध्यमों से व्यक्तियों, महिलाओं इत्यादि के प्रति अपशब्द का प्रयोग करते हुए कमेंट करने व अश्लीलता फैलाने का मामला प्रकाश में आया था। इस संदर्भ में थाना अहिरौली बाजार पर मु०अ०सं० 120/2025 धारा 352 बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में अभियोग पंजीकृत किया गया। आरोपी शैलेन्द्र प्रताप उर्फ हिमालय एडवोकेट को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि आरोपी शैलेन्द्र प्रताप उर्फ हिमालय एडवोकेट का एक विस्तृत आपराधिक इतिहास है, इसके विरुद्ध थाना अहिरौली बाजार व थाना कोतवाली हाटा पर पूर्व में भी कुल 12 अभियोग पंजीकृत है एवं गुण्डा अधिनियम में भी कार्यवाही की गयी है।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं० 1057-ए/2013 धारा 147/323/504/506 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 2-मु०अ०सं० 227/2018 धारा 353/504/506/507 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 3-मु०अ०सं० 15/2019 धारा 2/3 गुण्डा एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 4-मु०अ०सं० 15/2019 धारा 353/504/507 भादवि थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 5-मु०अ०सं० 202/2019 धारा 2/3 गुण्डा एक्ट थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
- 6-मु०अ०सं० 135/2019 धारा



147/148/186/323/332/353/427/504/506 भादवि थाना
अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
7-मु0अ0सं0 101/2020 धारा 67 आईटी एक्ट थाना अहिरौली बाजार
जनपद कुशीनगर
8-मु0अ0सं0 006/2021 धारा 353/504/507 भादवि थाना अहिरौली
बाजार जनपद कुशीनगर
9-मु0अ0सं0 एनसीआर नं0 120/2013 धारा 323/504/506 भादवि
थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
10-मु0अ0सं0 418/2017 धारा 186/353/504 भादवि थाना
कोतवाली हाटा जनपद कुशीनगर
11-मु0अ0सं0 1120/2013 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना अहिरौली
बाजार जनपद कुशीनगर
12-मु0अ0सं0 378/2014 धारा 110 जी सीआरपीसी थाना अहिरौली
बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार अभियुक्त-

शैलेन्द्र प्रताप उर्फ हिमालय एडवोकेट पुत्र दधिबल साकिन चिलुआ थाना
अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1-प्रभारी निरीक्षक श्री संजय दुबे थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
2-कां0 धर्मेन्द्र कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
3-कां0 विजय कुमार थाना अहिरौली बाजार जनपद कुशीनगर
4-चालक हे0कां0 दिनेशचन्द्र यादव थाना अहिरौली बाजार जनपद
कुशीनगर

***थाना कुबेरस्थान पुलिस द्वारा अपहरण के मुकदमे में वांछित एक
अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-***

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये
जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2025 को थाना
कुबेरस्थान पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 39/2025 धारा -137(2)/87
बीएनएस में वांछित अभियुक्त रुजित गुप्ता उर्फ रोशन पुत्र वशिष्ठ शाह
साकिन बनकटा थाना गोपालपुर जनपद गोपालगंज बिहार को गिरफ्तार
कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 39/2025 धारा 137(2)/87 बीएनएस थाना कुबेरस्थान



गिरफ्तार वांछित अभियुक्त-

रुजित गुप्ता उर्फ रोशन पुत्र वशिष्ठ शाह साकिन बनकटा थाना गोपालपुर
जनपद गोपालगंज बिहार

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. थानाध्यक्ष श्री स्वतंत्र कुमार सिंह थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर।
2. उ0नि0 श्री सागर कुमार थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर
3. का0 रामबरन मौर्य थाना कुबेरस्थान जनपद कुशीनगर

***साइबर फ्राड के पीडित का सोलह हजार रुपये (16,000/- रूपये)
कराये गये वापस-***

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक कुशीनगर श्री संतोष कुमार मिश्रा के निर्देशन में चलाये जा रहे साइबर फ्राड से पीडित आम जन मानस के प्रार्थना पत्रों के निस्तारण अभियान के क्रम में साइबर क्राइम थाना जनपद कुशीनगर की टीम द्वारा पीडित के कुल रु0 16,000/- (सोलह हजार रुपये) त्वरित कार्यवाही करते हुए पीडित के खाते में वापस कराये गये।

अपराध का विवरण-

आवेदिका श्रीमती अंगीरा देवी पत्नी महेन्द्र ग्राम मिठहा माफी थाना नेबुआ नौरंगिया जनपद कुशीनगर के खाते से किसी अन्य व्यक्ति के खाते में पैसा चला गया था। आवेदिका के द्वारा संपर्क स्थापित करने के बाद भी उक्त व्यक्ति जिसके खाते में पैसा चला गया था वापस नहीं कर रहा था। फलस्वरूप आवेदिका द्वारा कम्प्लेन किया गया था। उक्त पीडित व्यक्ति को साइबर क्राइम थाना जनपद कुशीनगर की टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए समन्वय स्थापित कर पीडित के खाते में पैसा वापस कराया गया।

वापस कराने वाली टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक श्री संजय कुमार थाना साइबर क्राइम जनपद कुशीनगर
- 2- कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड ए संजीव कुमार यादव थाना साइबर क्राइम जनपद कुशीनगर
- 3- का0 प्रदीप यादव थाना साइबर क्राइम जनपद कुशीनगर
- 4- म0का0 साध्वी दूबे थाना साइबर क्राइम जनपद कुशीनगर
- 5- म0का0 ज्योति भारती थाना साइबर क्राइम जनपद कुशीनगर
- 6- म0का0 मोनिका मिश्रा थाना साइबर क्राइम जनपद कुशीनगर

थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा दुष्कर्म आदि के मुकदमे में वांछित एक नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

जनपद कुशीनगर में वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 12.04.2025 को थाना विशुनपुरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 0045/2025 धारा 64/352/351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट में वांछित अभियुक्त नागेन्द्र उर्फ टाफी पुत्र मुन्ना लाल गुप्ता सा0 नगर पंचायत दुदही जिरात थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग:-

मु0अ0सं0 0045/2025 धारा 64/352/351(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट

गिरफ्तार अभियुक्त-

नागेन्द्र उर्फ टाफी पुत्र मुन्ना लाल गुप्ता सा0 नगर पंचायत दुदही जिरात थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

1. प्र0नि0 राजू सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
2. हे0का0 संतोष चौरसिया थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर
3. का0 रत्नाकर सिंह थाना विशुनपुरा जनपद कुशीनगर

शान्ति भंग में की गयी निरोधात्मक कार्यवाही-

जनपद कुशीनगर के विभिन्न थानों की पुलिस द्वारा 27 नफर अभियुक्तों को शान्ति भंग में गिरफ्तार कर धारा 170 बीएनएसएस के अन्तर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की गयी।

कार्यवाही एक नजर में=

- 1- मोटर वाहन अधिनियम में की गयी कार्यवाही-सीज-00, ई-चालान-45 वाहन
- 2- 126/135 बीएनएसएस में की गयी कार्यवाही-मु0-56, व्यक्ति-166
- 3- वांछित/वारंटी/अन्य अपराधों में अभियुक्तों की गिरफ्तारी-(03)
- 4- जनपद में कुल गिरफ्तारी-(कुल-30)

सोशल मीडिया सेल

जनपद कुशीनगर



Edit with WPS Office



Edit with WPS Office